

अति तत्काल
आर टी आई मामला

सं. 14036/103/2014-यू टी पी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 13/11/2014

सेवा में

श्री मोहन लाल वर्मा
क्वार्टर नं. 5015,
ओल्ड पिन्टो पार्क,
एयर फोर्स स्टेशन पालम,
नई दिल्ली-110010

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपका दिनांक 06.12.2013 का आवेदन।

महोदय,

मुझे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आपके ऊपर उल्लिखित आर टी आई आवेदन (इस अनुभाग में दिनांक 02.01.2014 को प्राप्त) का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि आपकी शिकायत को इस मंत्रालय के दिनांक 15.10.2013 के पत्र सं 14036/10/2013-यू टी पी (खण्ड-IV) के तहत दिल्ली पुलिस को पहले ही अग्रेषित कर दिया गया है और इसलिए, आपका आर टी आई आवेदन भी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत दिल्ली पुलिस को उनकी तरफ से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अंतरित किया जा रहा है।

3. इस उत्तर के संबंध में गृह मंत्रालय में अपील प्राधिकारी का नाम एवं पदनाम श्री इकबाल सिंह चहल, संयुक्त सचिव (यू टी), गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली है।

भवदीया,
(चित्रा नारायण)

(चित्रा नारायण)

अवर सचिव (डी पी-1)

प्रति प्रेषित:-

- 1 पुलिस उपायुक्त, लोक सूचना अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली-आर टी आई आवेदन की एक प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न है कि अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को प्रदान की जाए। आवेदक ने अपेक्षित शुल्क इस मंत्रालय में जमा करा दिया है।

१९०

190
10/12/14